संख्या-106 / 2026/ 2097 /26-3-2026- 1572678

प्रेषक,

प्रवीण मिश्र
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 अगस्त 2026

विषयः- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कन्या के बैंक खाते में अन्तरित की जाने वाली धनराशि के अन्तरण की प्रक्रिया में शासनादेश दिनांक 23.05.2025 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1368/स0क0/विकास/मु0सा0वि0यो0/2026-27, दिनांक 24.07.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-113/2025/1282/26-3-2025-1572678, दिनांक 23.05.2025 के बिन्दु संख्या-**3** के उपबिन्दु-**3 (i)** में दी गयी व्यवस्था को संशोधित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-77/2026/1459/ 26-3-2026-1572678, दिनांक 09.06.2026 द्वारा निर्धारित धनराशि के क्रम में शासनादेश संख्या-113/2025/1282/26-3-2025-1572678, दिनांक 23.05.2025 के बिन्दु संख्या-**3** के उपबिन्दु-**3 (i)** में दी गयी व्यवस्था को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

पूर्व की व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
1	2
बिन्दु संख्या-3 के उपबिन्दु (i) कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रूपये 64,000/-(रूपये चौसठ हजार मात्र) कन्या के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।	**बिन्दु संख्या-3 के उपबिन्दु (i)** कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रू0 64,000/-(रूपये चौसठ हजार मात्र) कन्या के बैंक खाते में आधार आधारित (आधार बेस) पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।

3- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-113/2025/1282/26-3-2025-1572678, दिनांक 23.05.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

कृपया तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रवीण मिश्र)
विशेष सचिव।

abhl

पृ०सं०- 106 /2026/2097 (1)/ 26-3-2026-तद्दिनांक-

प्रतिलिपिः -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन ।
2- प्रमुख सचिव, वित्त/श्रम/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,उ०प्र०शासन ।
3- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री (स्व०प्र०) समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।
4- निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग, उ.प्र.शासन।
5- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज ।
6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन ।
7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ०प्र० ।
8- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र० ।
9- समस्त जिलाधिकारी उ०प्र० ।
10-समस्त मुख्य कोषाधिकारी उ०प्र० ।
11- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० ।
12-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) उ०प्र० ।
13-निदेशक, एन०आई०सी०, उ०प्र०लखनऊ।
14-गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(प्रवीण मिश्र)
विशेष सचिव।

abhi